कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय, 2016-17 से घटते रूझान को दर्शाते हैं। अग्रतर, स.रा.घ.उ. के *प्रतिशत* के रूप में पूंजीगत व्यय, 2018-19 के दौरान काफी कम था।

कंडिका 1.1.1

राज्य ने राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे को स.रा.घ.उ. अनुपात में प्राप्त नहीं किया है, जैसा कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी. विवरण में लक्षित है। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 हेतु स.रा.घ.उ. अनुपात में बकाया ऋण के संबंध में 14$^{वें}$ वित्त आयोग का मानक प्रक्षेपण भी प्राप्त नहीं किया गया था।

राजकोषीय घाटा (₹ 6,629 करोड़) स.रा.घ.उ. का 2.16 *प्रतिशत* था जो 14$^{वें}$ वित्त आयोग द्वारा 3.25 *प्रतिशत* की अनुशंसित सीमा और एम.टी.एफ.पी. के तहत 2.61 *प्रतिशत* लक्ष्य के अंदर था।

कंडिका 1.1.2

राज्य का प्राथमिक घाटा 2017-18 में ₹ 7,271 करोड़ से प्रमुखता से सुधर कर 2018-19 के दौरान ₹ 1,777 करोड़ हो गया।

कंडिका 1.1.2.2

संसाधनों का जुटाव एवं अनुप्रयोग

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 56,152 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 52,756 करोड़) से ₹ 3,396 करोड़ (6.44 *प्रतिशत*) बढ़ी जो बजट अनुमान (₹ 69,578 करोड़) से कम था।

2018-19 के दौरान राजस्व व्यय (₹ 50,631 करोड़) 2017-18 (₹ 50,952 करोड़) से ₹ 321 करोड़ (0.6 *प्रतिशत*) घटा। 2018-19 के दौरान वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व व्यय का प्राक्क्लन ₹ 61,523 करोड़ था

पूँजीगत व्यय (₹ 10,712 करोड़) 2017-18 (₹ 11,953 करोड़) से ₹ 1,241 करोड़ (10.38 *प्रतिशत*) घटा। वर्तमान वर्ष हेतु पूँजीगत व्यय का बजट प्राक्कलन ₹ 13,068 करोड़ था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को बजट तैयार करने के उपक्रम को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जाए।*

***कंडिका 1.1.3*, 1.2 एवं 1.6**

लोक व्यय की पर्याप्तता

2018-19 के दौरान कुल व्यय (कु.व्य.) से विकास व्यय, आर्थिक सेवा व्यय एवं पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से काफी अधिक था। तथापि वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र व्यय, शिक्षा व्यय के साथ सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत व्यय से कम था।

कंडिका 1.7.1

सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोगों ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इनपर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, किसी भी सिंचाई योजना को झारखण्ड सरकार द्वारा वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया।

2018-19 के दौरान 11 सिंचाई परियोजनाओं को कुल ₹ 1,759.45 करोड़ का पूँजीगत परिव्यय प्रदान किया गया और 23 परियोजनाओं पर कार्य व्यय और रख-रखाव शुल्क हेतु ₹ 1,480.90 करोड़ खर्च किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 38.04 करोड़ इन परियोजनाओं से विविध राजस्व के रूप में प्राप्त किया गया।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।*

कंडिका 1.8.1

निवेश पर प्रतिफल

2014-19 के दौरान राज्य सरकार को लिये गये उधार लागत और कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण ₹109.53 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) को ₹ 7,222 करोड़ की राशि का ऋण सरकारी लेखाओं में बोर्ड से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना जारी है, यद्यपि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य की संपत्ति ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक बढ़ गई थी।

अनुशंसा: *राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो।*

कंडिका 1.8.3 व 1.8.4

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

31 मार्च 2019 तक एस.डी.आर.एफ. में ₹ 1,930.09 करोड़ का अंत शेष था। एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2010 के अनुसार राज्य सरकार ने निधि के तहत शेष से ₹ 400 करोड़ (2012-13) निवेश किया।

2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के बाद 11 दिनों (₹ 210.50 करोड़) और 184 दिनों (₹ 31.58 करोड़) के विलंब के साथ सार्वजनिक खाते में उनके हिस्से के साथ भारत सरकार से योगदान हस्तांतरित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 1.46 करोड़ का ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था, जिसका भुगतान नही किया गया।

अग्रतर, दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतेय ब्याज (8.25 *प्रतिशत*) की दर से ब्याज का भुगतान करते हुए स्वयं निधि के कोष में डाला जाना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. गठन के बाद से इसपर कोई ब्याज नहीं दिया फलस्वरूप 2010-19 की अवधि के लिए ब्याज की लागू दरों के आधार पर यह राशि ₹ 535.83 करोड़ हो गयी। इसमें से, अकेले 2018-19 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹ 94.96 करोड़ थी। निधि के प्रचालन के बाद से इस तरह ब्याज का भुगतान नही करना राज्य की अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता हैं।

अनुशंसा: *राज्य को सार्वजनिक खाते में अपने हिस्से के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त अंशदान का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए और एस.डी.आर.एफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि में निहित शेष राशि का भी निवेश करना चाहिए।*

कंडिका 1.9.4

बचत

₹ 20,224 करोड़ के कुल बचत में, 27 अनुदानों से संबंधित 29 मामलों में ₹ 15,941 करोड़ (79 *प्रतिशत*) का बचत हुआ। इन मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक और अनुदान का 20 *प्रतिशत* या उससे अधिक था।

विगत पाँच वर्षों के दौरान 11 मामलों में (10 विभागों) कुल अनुदानों का 10 *प्रतिशत* या उससे अधिक सतत बचत हुआ।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को क्षेत्रीय इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बजट तैयार करना चाहिए और आवंटित राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। सभी प्रत्याशित बचतों को समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिये ताकि निधियों को अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जा सके।*

कंडिका 2.3.1 व 2.3.3

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

2018-19 के दौरान 40 अवसरों पर आकस्मिकता निधि से ₹ 69.72 करोड़ की अग्रिम राशि आहरित की गयी जिसमें से, 13 अवसरों पर, ₹15.34 करोड़ की राशि ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये उपयोग में लाये गये जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

इस प्रकार, राज्य द्वारा आकस्मिक निधि का उपयोग गैर-आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एक अग्रिम खाते के रूप में किया गया था।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से आपातकालीन एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय की पूर्ति के अतिरिक्त कोई अग्रिम आहरित नहीं हो।*

कंडिका 2.3.4

प्रावधानों से आधिक्य व्यय के विनियमन की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक के प्रावधानों से ₹ 3,015.37 करोड़ के आधिक्य व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित करना अब भी लंबित था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को ₹ 3,015.37 करोड़ के आधिक्य व्यय को विनियमित करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।*

कंडिका 2.3.5

व्यय का वेग

21 अनुदानों में ₹10,151.23 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 6,342.48 करोड़ (62.48 *प्रतिशत*) का व्यय किया गया। इसमें से, ₹ 3,691.90 करोड़ (कुल व्यय का 36.37 *प्रतिशत*) का व्यय मार्च 2019 में किया गया। अग्रतर, मार्च में आहरित कुल राशि से, ₹ 35.13 करोड़ संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के द्वारा आहरित किया गया।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के वेग को नियंत्रित करने के लिए बजट नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करनी चाहिये।*

कंडिका 2.4

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विभिन्न विभागों द्वारा 2017-18 तक आहरित सहायता-अनुदान विपत्रों के विरुद्ध ₹ 53,379 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) 31 मार्च 2019 तक बकाया थे जो अभीष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की समयबद्ध उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु नियमावलियों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता का सूचक था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये जिसके अंदर अनुदान विमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय तक लबित उ.प्र.प. प्राप्त करें और ये भी सुनिश्चित करें कि उस समय तक, प्रशासनिक विभाग चूककर्ता अनुदानग्राहियों को कोई अगला अनुदान विमुक्त न करें। सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध जो समय पर उ.प्र.प. प्रस्तुत करने में विफल रहे, उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।*

कंडिका 3.1

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

24 कार्यशील सा.क्षे.उ. (69 लेखे) और तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ./निगमों (तीन लेखे) के लेखे एक से नौ वर्षों तक बकाया हैं। अग्रतर, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान छः सा.क्षे.उ. तीन सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर पूँजी में ₹ 41 करोड़ का निवेश किया था, जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. के बकाया लेखे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लेखे एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय सहायता को रोक देना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं।*

कंडिका 3.2.2

बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

2001-2019 के दौरान आहरित ₹ 20,679 करोड़ के आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध मार्च 2019 के अंत में ₹ 5,479 करोड़ राशि के विस्तृत आकस्मिक विपत्र बकाये थे।

अग्रतर 2018-19 में आहरित ₹ 1,061 करोड़ आकस्मिक विपत्रों पर मार्च 2019 में ₹ 62 करोड़ आहरित किया गया।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग तथा श्रम, रोजगार व प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2001-19 की अवधि के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित की गई निधि के लेखापरीक्षा से उद्घटित हुआ कि इस अवधि के दौरान 1,410 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 524 करोड़ आहरित किए गए थे, जिसके विरुद्ध जुलाई 2019 तक ₹ 208 करोड़ के 827 विस्तृत आकस्मिक विपत्र बकाये थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद सभी लंबित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों को समयबद्ध रूप से, समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि केवल बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित नहीं किए जाते है।

कंडिका 3.3

व्यक्तिगत बही खाते (पी.एल.ए.)

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए यदि यह तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो।

2018-19 के दौरान, ₹13,202.66 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹9,875.32 करोड़ जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत बही खातों में ₹23,077.98 करोड़ का संचय हुआ। अग्रतर, वर्ष के दौरान ₹8,730.34 करोड़ व्यय किया गया जिससे 2018-19 के अंत में व्यक्तिगत बही खातों में ₹14,347.24 करोड़ का शेष बचा रहा।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में पड़ी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों जो नियमावलियों के अनुसरण में विफल रहते है के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।*

कंडिका 3.5

श्रम सेस

वित्त लेखे के अनुसार 2018-19 तक सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से श्रम सेस के रूप में ₹ 473.48 करोड़ संग्रहित किया गया। उक्त संग्रहित सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया (मार्च 2019) जिससे संबद्ध वर्षों के दौरान राज्य के राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई तथा यह राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड को यथाशीघ्र अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए।*

कंडिका 3.6

लघु शीर्ष '800' के अधीन प्रविष्टि

झारखण्ड सरकार के विभागों ने लघु शीर्ष-800 जिसे सिर्फ असाधारण मामलों में परिचालित किया जाना चाहिए, को नियमित रूप से परिचालित किया । 2018-19 के दौरान, प्राप्तियों के अधीन ₹ 832.91 करोड़ और व्यय के अधीन ₹ 1,161.38 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रविष्ट किये गये परिणामस्वरूप लेन-देनों में अस्पष्टता रही।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघु शीर्ष-800 में दर्ज सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ व व्यय उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाते हैं।*

कंडिका 3.7

राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

व्यय और राजस्व के गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹ 953.92 करोड़ के राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। राज्य की बकाया देनदारियों में भी ₹953.92 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

कंडिका 3.9

राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशियों का संविभाजन

पूँजीगत खंड के अंतर्गत ₹ 11,935.23 करोड़ तथा ऋण व अग्रिम के अंतर्गत ₹ 6,583.36 करोड़ सहित लोक लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7,443.90 करोड़ की शेष राशि उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच, नवंबर 2000 से तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद भी संविभाजित किया जाना बाकी है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जमा एवं अग्रिमों के अंतर्गत शेषों के संविभाजन को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता है।*

कंडिका 3.11